कार्यालय जनपद न्यायाधीश, हापुड़।

निविदा सूचना

जनपद न्यायालय हापुड़ में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आवासीय कार्यालय एवं कम्प्यूटर अनुभाग में प्रयोग हेतु कुल 2(दो) फैक्स मशीन क्रय किये जाने हैं, जिसके लिये प्रतिष्ठित कम्पनियों की फैक्स मशीन की आपूर्ति हेतु पंजीकृत फार्मों द्वारा निविदा / टेण्डर दिनांक 16/10/2017 की अपराह्न सायं 04:00 बजे तक सील बन्द लिफाफे में आमंत्रित किये जाते हैं। निविदा हेतु निर्धारित फार्म एवं निविदा की शर्तें किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक जनपद न्यायालय हापुड़ के केन्द्रीय नजारत कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदा / टेण्डर के साथ जनपद न्यायाधीश हापुड़ के पक्ष में देय 1,000 /- रू0 का बैंक ड्राफ्ट / चैक बतौर सिक्योरिटी जमा करना होगा। निर्धारित फार्म के अतिरिक्त अन्य प्रारूप पर निविदाएँ स्वीकार नहीं की जायेंगी। उक्त निविदाएँ दिनाँक 16/10/2017 की सायं 04:00 बजे परचेज समिति के समक्ष खोली जायेंगी। निविदाएँ खोले जाने के समय फार्मों के प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।

दिनाँक-25-09-2017

25.9.17

अध्यक्ष परचेज कमेटी,
अपर जिला न्यायाधीश,
हापुड़।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को व्यापक प्रचार-प्रसार हेतुः-

1. नोटिस बोर्ड जनपद न्यायालय हापुड़।
2. नोटिस बोर्ड जिलाधिकारी, हापुड़।
3. समस्त उपजिलाधिकारी, जनपद हापुड़।
4. तहसीलदार, सदर, जनपद न्यायालय हापुड़।
5. नोटिस बोर्ड हापुड़ विकास प्राधिकरण, हापुड़।
6. कम्प्यूटर विभाग को इस जनपद एवं माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु।
7. जिला सूचना अधिकारी को समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।

जिला न्यायालय हापुड में 2 फैक्स मशीन क्रय किये जाने हेतु आमंत्रित निविदा की शर्तें एवं प्रतिबंधः--

1. निविदा देने वाली फर्म का व्यापार कर कार्यालय में पंजीकरण होना अनिवार्य है। निविदा फार्म केन्द्रीय नजारत जनपद न्यायालय, हापुड़ से प्राप्त किये जा सकते हैं।

2. निविदा में आपूर्ति किये जाने वाले सामान कम्पनी मॉडल नं0 आदि का विवरण अंकित करना अनिवार्य है।

3. प्रत्येक निविदा के साथ अंकन 1,000 /- रूपये का बैंक ड्राफ्ट / चैक जनपद न्यायाधीश, हापुड़ के पक्ष धरोहर राशि के रूप में संलग्न करना होगा।

4. भुगतान सामान की आपूर्ति किये जाने के पश्चात ही किया जा सकेगा। भुगतान के विलम्ब में किसी प्रकार का ब्याज आदि का दावा स्वीकार नहीं होगा।

5. बिना धरोहर धनराशि के निविदाएं स्वीकार नहीं की जायेगी तथा फर्मों की कोई शर्त बाध्यकारी नहीं होगी।

6. निविदा की देय में सभी प्रकार के टैक्स सम्मलित होने चाहिये बाद में गकिसी प्रकार का टैक्स एवं माल की मूल्य वृद्धि मान्य नहीं होगी।

7. निविदा दाताओं द्वारा ट्रेड टैक्स एवं वैट इन्कम टैक्स विभाग द्वारा निर्गत अदेयता प्रमाण पत्र भी देना अनिवार्य है।

8. यदि आपूर्ति की गयी वस्तुओं में कोई मैन्यूफेक्चरिंग त्रुटि या अन्य किसी प्रकार की कमी पाई जाती है तो उसे आपूर्ति कर्ता द्वारा वापस लेकर पुनः सही वस्तु की आपूर्ति अपने व्यय पर करनी होगी। ऐसी दशा मे पुनः आपूर्ति के उपरान्त भुगतान किया जायेगा।

9. गुणवत्ता एवं आपूर्ति के पश्चात सेवाओं को प्रदान करने की तत्परता दिखाने वाली फर्मों को प्राथमिकता दी जायेगी।

10. निविदाकर्ताओं में से जो भी निविदा कर्ता उपरोक्त शर्तों में से किसी एक भी शर्त को पूर्ण नहीं करेगा, उसका आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

11. स्वीकृतकर्ता अधिकारी (जनपद न्यायाधीश, हापुड़) को अधिकार होगा कि वह किसी भी निविदा को बिना कारण बताए निरस्त कर सकते हैं।

12. फैक्स मशीन की जनपद न्यायालय हापुड़ में आपूर्ति तथा इंस्टॅालेशन पर व्यय आपूर्तिकर्ता द्वारा स्वयं वहन करना होगा, इसके लिये पृथक से कोई धनराशि नहीं दी जायेगी।

25.9.17

अध्यक्ष परचेज कमेटी,
अपर जिला न्यायाधीश,
हापुड़।